राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(41)ग्रावि/नरेगा/08 जयपुर, दिनांक : - 4 MAY 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
भीलवाड़ा।

विषयः- राजकीय कार्यालय को कार्यालय समय उपरांत बन्द करवाने बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी, जहाजपुर कार्यालय में कुछ कर्मियों ने कार्य के साथ-साथ मदिरा मास का उपयोग एवं उसके पश्चात कर्मचारियों में आपस में झगड़ने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति उचित नहीं है एवं कार्यालय की मर्यादाओं के विरूद्ध है।

कार्यालय की गरिमा बनाये रखने के परिपेक्ष्य में यह निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यालय समय उपरान्त कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का बन्द होना सुनिश्चित करें। कार्यालय अवधि के पश्चात भी यदि कार्यालय का खोला जाना आवश्यक है तो अतिरिक्त समय में कार्यक्रम अधिकारी की उपस्थिति में ही खोला जावे। कार्यालय की चाबियां कार्यक्रम अधिकारी के पास रहेंगी। जो अगले दिन प्रातः सहायक द्वारा ली जाकर कार्यालय को खोला जावेगा।

यदि भविष्य में किसी कार्यालय में इस प्रकार की अनैतिक कार्यवाही होना पाया गया तो इसके लिए सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित हैः-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा समस्त(भीलवाडा के अतिरिक्त) राजस्थान।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(नरेगा), राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस